International Journal of Research
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 03 Issue 18
December 2016

भारत में मानवाधिकार : एक पुनरावलोकन

कीर्ति
रिसर्च सकोलर
राजनीति विज्ञान विभाग
महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी, रोहतक

शोध आलेख सारः प्रस्तुत शोध पत्र में मैंने मानवाधिकारों का भारतीय संदर्भ स्पष्ट किया है। यहाँ मैने बताया है कि भारत में मानवाधिकारों की क्या सकारात्मक स्थिति है इनका संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है। दूसरी तरफ मानवाधिकारों का भारत में नकारात्मक पक्ष भी स्पष्ट किया। इसमें उन मुद्दों को शामिल किया है जिनको आधार बनाकर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। अंत में मैने भारत की नकारात्मक छवि को सुधारने हेतु सुझाव भी पेश किये है।
मुख्य शब्दः मानवाधिकार, ऑनर किलिंग, एन्काउंटर, अपस्फा।

भारत में मानवाधिकार : मानवाधिकार वे आवश्यक परिस्थितियाँ है जो एक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होती है। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व जीन जैक्स रूसो ने कहा था। "मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हैं" इस प्रसिद्ध सुक्ति से रूसो ने मानवीय समुदाय को इतने वर्ष पूर्व मानव जीवन की स्वतंत्रमय प्रकृति व इस पर आरोपित बन्धनों को इंगित किया था। आज मानवाधिकारों को विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान की जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी घोष्णा के द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम्य घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। चूंकि यहां हमारा संदर्भ भारत में मानवाधिकारों की स्थिति का पुनरावलोकन करने से है तो हम कह सकते है कि भारतीय समाज में मानवाधिकारों को किसी न किसी रुप में स्वीकार किया हैं तथा मानव की गरिमा का ध्यान रखा गया है भारतीय संविधान में भी आरंभ से ही मानवाधिकारों को लागू करने के लिए नागरिकों को कुछ मूलाधिकार प्रदान कियें गये हैं। ये अधिकार भारतीय नागरिकों के जीवन के सर्वागीण विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ सृजित करते है।

उसके अलावा भारत ने UNO की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर भी 1948 में हस्ताक्षर किये व इसे अंगीकार किया है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन तथा भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर दृष्टि रखने के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की।

इसके साथ ही सभी राज्यों कि भी अपने अपने मानवाधिकार आयोग है।

भारत में बालको, वृद्धो, व महिलाओं के सम्बन्ध में संवैधानिक व कानूनी रुप से अनेको प्रावधान किए गये है। इनके अलावा समाज के पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यक समुदायो के अधिकारों

का भी विशेष ध्यान रखा गया हैं। समय समय पर मानवाधिकारों की स्थिति पर वियार हेतु अध्ययन समूह या दल बनाये जाते रहे हैं अनेको योजनाऐं चलाई जाती है, विभिन्न प्रकार की अंतराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी भारत में मानवाधिकारों को विशेष महत्व दिया जाता हैं।

किंतु यह मानवाधिकारों से सम्बंधित केवल एक पक्षीय विचार है क्यांकि भारत में मानवाधिकारों का अनेक मुददों के आधार पर व्यापक हनन हुआ है।

जैसे

1. ऑनर किलिंग के नाम पर मानवाधिकार हनन
2. आंतरिक सुरक्षा के नाम पर अपस्फा जैसे कानूनी प्रावधान।
3. अतार्किक व झुठे एन्काउंटर।
4. धार्मिक व जातिगत आधार पर दंगे।
5. अंधविश्वास व कुरीतियों के कारण मानवाधिकार हनन्
6. गरीबी व अशिक्षा मानवाधिकारों का व्यापक हनन है।
7. घरेलू हिंसा महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन है।
8. विकास के नाम पर आदिवासी समुदायों के मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन।

उपरोक्त बिन्दु भारत में उन सभी मुद्दों व आधारों को स्पष्ट करते हे जिनके आधार पर भारत में मानवाधिकारों का हनन् हो रहा है। इन सभी पर यदि चर्चा करें तो हम देखते है कि हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में युवाओं की सरेआम ाहत्या कर दी जाती है तथा से इसे ऑनर किलिंग का नाम दिया जाता हे ऐसा करके हत्यारे स्वंय को परिवार व समाज की इज्जत का रखवाला घोषित करते है।

इसके अलावा अरूणाचल, मणिपुर, मिजोरम, व जम्मूकश्मीर आदि दंगा व आंतक प्रभावित अंशांत क्षेत्रों में 1957–58 से लागू किया गया अपस्फा (आर्म फॉर्स स्पेशल एक्ट–1957) एक्ट इन क्षेत्रों की जनता के लिए अभिशाप है क्योंकि इस एक्ट के तहत सैन्य बलों की मनमानी करने की छूट प्राप्त है इस एक्ट के विरूद्ध मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने 16 वर्षों तक अनशन किया।

इसके साथ ही सरकार फर्जी एन्काउंटर के द्वारा कैदियों के मानवाधिकारों के हनन की छूट पूलिसबलों को प्रदान करती रही है। विकास के नाम पर आदिवासी समुदायों को वनों से विस्थापित किया जा रहा है उनको अपनी संस्कृति से परे किया जा रहा है। महिलाओं की घरेलू हिंसा, लैंगिक विभेद आदि के कारण अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए धार्मिक व जातिय आधार पर दंगें भड़काते रहे है। गौधरा कान्ड, मुम्बई दंगे, अयोध्या काण्ड, व पंजाब में आंतक इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफी है।

इस प्रकार विश्व स्तर पर बार–बार भारत में मानवाधिकारी हनन को लेकर विवाद उठता रहता है स्वंय ग्रह मंत्रालय ने भी अपनी रिपोर्ट में कई बार इन मुद्दों पर चिंता प्रकट की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तुरंत अपस्फा कानून को हटाने की मांग की है।

यदि भारत को अपनी छवि में सुधार करना है तो स्थिति पर पुर्नविचार किया जाना आवश्यक है। विश्व स्तर पर भारत को बार–बार शर्मिन्दा होना पडेगा।

– भारत में मानवाधिकारों की स्थिति को बेहतर करने से सम्बन्धित निम्न सुझाव दिये जा सकते है।

1– आर्म फॉर्स स्पेशल एक्ट–1957 के लागू करने पर विचार करना व इसके आलोचनीय प्रावधानों को संशोधित करना होगा।

2– महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के अपराधों को समाप्ति के लिए व्यापक जागरूकता व कार्य योजना की आवश्यकता।

3– समाज को शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाना ताकि लोग स्वंय अपने अधिकारों कि रक्षा कर सकें।

4– राष्ट्रीय सुरक्षा व मानवाधिकारों के बीच संतुलित दृष्टिकोण अपनाना।

5– सम्बन्धित संस्थाओं को सशक्त करना।

अतःनिष्कर्ष रूप में कह सकते है मानवाधिकारों की स्थिति भारत में निःसन्देह चिंतनीय है किंतु फिर भी भारत सुरक्षित व सहिष्णु समाज है आज भी समस्याऐं इतनी गहरी नहीं हो पी है कि वे भारत को समृद्ध शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की परंपरा को तोड सके। भारत की छवि को कुछ मुद्दों पर खराब करने के प्रयास भी हो रहे है ऐसे सभी प्रयासों को हमें रोकना होगा व भारत को विश्व में सबसे सुरक्षित स्थान बनाना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1– डॉ0 के0के0 घई – "भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार' – कल्याणी पब्लिकेशन नई दिल्ली।

2– डॉ0 एच ओ अग्रवाल – 'मानवाधिकार – सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन

3– डॉ0 सैयद मेहरताज बेगम – भारत में मानवाधिकार मुद्दे व परिप्रेक्ष्य – ए.पी.एच. पब्लिकेशन दिल्ली।

4– The Hindu News Paper 9th August 2016

5– Times of India News Paper – 1st November, 2016